# CHAPTER- 15: OFFENCES RELATED TO DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE

**मॉड्यूल के अंतिम दो दिनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (प्रैक्टिकल हैंड्स–ऑन सेशन्स)**

- **नोट**–1– पूरी कक्षा को सत्रह समूहों में विभाजित करें। उन्हें कॉलम 5 के अनुसार छोटे समूहों में कार्य दिया जाना चाहिए।

- **पहला छोटा समूह–** अपराध स्थल की रक्षा करना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **दूसरा छोटा समूह–** राजपत्रित अधिकारी को पत्र लिखना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **तीसरा छोटा समूह–** वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **चौथा छोटा समूह–** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का संकल्प लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **पांचवां "बडीपेयर" (Buddy pair)/छोटा समूह–** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का नोटिस लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **छठा छोटा समूह–** एफएसएल को पत्र लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **सातवां छोटा समूह–** संबंधित व्यक्ति को वजन और माप के लिए पत्र लिखना
- **आठवां छोटा समूह–** जब्ती ज्ञापन लिखना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **नौवां छोटा समूह–** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(1) के तहत गिरफ्तारी ज्ञापन लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **दसवां छोटा समूह–** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के तहत वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखना – पेपर 5 (A) फॉरेंसिक साइंस
- **11वां छोटा समूह–** एनसीबी के महानिदेशक को जब्ती रिपोर्ट के बारे में पत्र लिखना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **12वां छोटा समूह–** एफआईआर का मसौदा तैयार करना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **13वां छोटा समूह–** आरोपी की गिरफ्तारी/हैंडलिंग/निगरानी करना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **14वां और 15वां छोटा समूह–** गवाह से बातचीत करना और उसका बयान लिखना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **16वां छोटा समूह–** मौके पर पंचनामा लिखना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स
- **17वां छोटा समूह–** चार्जशीट (अंतिम रिपोर्ट) का मसौदा तैयार करना – पेपर 3 माइनर एक्ट्स

- **नोट–1–** उपरोक्त व्यावहारिक सिमुलेशन कार्य के अंत में, क्या करें और क्या न करें के आधार पर समूह चर्चा आयोजित की जानी चाहिए।
- **नोट–2–** आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल से पहले या बाद में गतिविधियाँ की जानी चाहिए।
- **नोट–3–** दौरे सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों पर, आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल से पहले या बाद में किए जाने चाहिए।
- **नोट–4–** व्यावहारिक व्यावहारिक सत्रों के बाद सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों पर मूवी/वेब सीरीज दिखाई जानी चाहिए।
- **नोट–5–** परीक्षा– व्यावहारिक सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान ए–14 (A–14) से मौखिक/एमसीक्यू परीक्षा आयोजित की जानी है।
- व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं से, पुलिस अधिकारी होने के नाते, ड्रग्स अध्याय में पढ़ाए गए एनडीपीएस के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है

PTS Kherwara, Udaipur

# Module- A- 14- NDPS (Day-05) (Session-24)
## Paper- 03- Minor Acts, Special and Local Law (11 Session)
### स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
### (1985 का अधिनियम संख्यांक 61)
### [16 सितम्बर, 1985]
### (यथा संशोधित वर्ष 2014)

स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त संपत्ति के समपहरण का उपबंध करने के लिए, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह–

(क) भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों को;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर सभी व्यक्तियों को, वे जहां भी हों, भी लागू होता है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

**2. परिभाषाएं–** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **''व्यसनी''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पर आश्रित है;

(ii) **''बोर्ड''** से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(III) **''कैनेबिस (हैम्प)''** से अभिप्रेत है.–

(क) चरस, अर्थात् कच्चा या शोधित किसी भी रूप में पृथक किया गया रेजिन जो कैनेबिस के पौधे से प्राप्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत हशीश तेल या द्रव हशीश के नाम से ज्ञात सांद्रित निर्मिति और रेजिन है;

(ख) **गांजा,** अर्थात कैनेबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे (इनके अन्तर्गत बीज और पत्तियां जब वे सिरे के साथ न हों, नहीं हैं) चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या अभिहित हों: और

(ग) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनेबिस का कोई मिश्रण चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, उससे निर्मित कोई पेय :

(iv) **''कैनेबिस का पौधा''** से कैनेबिस वंश का कोई पौधा अभिप्रेत है;

PTS Kherwara, Udaipur

(ivक) **''केन्द्रीय सरकार के कारखानों''** से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के, जिसमें केन्द्रीय सरकार समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करती है, स्वामित्वाधीन कारखाने अभिप्रेत हैं;

(अ) **''कोका के व्युत्पाद''** से अभिप्रेत है—

(क) कच्चा कोकेन, अर्थात् कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है**:**

(ख) ऐकगोनिन और ऐकगोनिन के सभी व्युत्पाद, जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। (ग) कोकेन, अर्थात बेंजायल—ऐकगोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण **:** और

(घ) सभी निर्मितियां जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकेन हो **:**

(अप) **''कोका की पत्ती''** से अभिप्रेत है—

(क) कोका के पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी ऐकगोनिन, कोकेन और कई अन्य ऐकगोनिन ऐल्केलाइड निकाल लिए गए हैं;

(ख) उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो. किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1 प्रतिशत से अनधिक कोकेन है;

(vii) **''कोका का पौधा''** से ऐरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है;

(viiक) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में ''वाणिज्यिक मात्र'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा अभिप्रेत है;

(viiख) **''नियंत्रित परिदान''** से स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या उनके लिए प्रतिस्थापित पदार्थों के अवैध या संदिग्ध परेषणों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने में अंतर्वलित व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से इस निमित्त सशक्त या धारा 50 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की जानकारी में या उसके पर्यवेक्षण के अधीन भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर ले जाने, उससे होकर निकालने या उसमें लाने के लिए अनुज्ञात करने की तकनीक अभिप्रेत है;

(viiग) **''तत्स्थानी विधि''** से इस अधिनियम के उपबंधों की तत्स्थानी कोई विधि अभिप्रेत है;

(viiघ) **''नियंत्रित पदार्थ''** से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के उत्पादन या विनिर्माण में उसके संभावित प्रयोग के बारे में या किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के किसी उपबंध के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियंत्रित पदार्थ घोषित करे**;**

(viii) **''प्रवहण''** से किसी भी प्रकार का कोई प्रवहण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, यान या जलयान है**;**

(viiiक) **''आवश्यक स्वापक औषधि''** से केंद्रीय सरकार द्वारा चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक औषधि अभिप्रेत है; अर्थात् —

(viiiख) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में ''अवैध व्यापार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात—

(i) कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना;

(ii) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करना**;**

PTS Khewara, Udaipur

(iii) स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भांडागारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना;

(iv) स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के उपखंड (i) से उपखंड (iii) तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न किन्हीं क्रियाकलापों में व्यवहार करना; या

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) तक में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप के लिए परिसर का प्रबंध करना या उसे किराए पर देना, सिवाय उनके जिन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश, या जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, निबंधन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(1) पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना;

(2) पूर्व वर्णित क्रियालापों में से किसी के करने को अग्रसर करने में या समर्थन में दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करना; और

(3) पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों को संश्रय देना य,

(ix) **''अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन''** से अभिप्रेत है, –

(क) स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन, 1961, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1961 में न्यूयार्क में अंगीकार किया गया था;

(ख) उपखंड (क) में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1972 में जेनेवा में अंगीकार किया गया था;

(ग) मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी, 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था; और

(घ) स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित किसी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का संशोधन करने वाला कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकाल या अन्य लिखत जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् भारत द्वारा अनुसमर्थन या अंगीकार किया जाए;

(x) स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में ''विनिर्माण'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,

(1) उत्पादन से भिन्न ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी औषधियां या पदार्थ प्राप्त किए जाएं;

(2) ऐसी औषधियों या पदार्थों का परिष्करण;

(3) ऐसी औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण; और

(4) ऐसी औषधियों या पदार्थों के साथ या उनको अंतर्विष्ट करने वाली निर्मितियों का (नुस्खे के आधार पर किसी फार्मेसी में से अन्यत्र) बनाया जाना;

(xi) **''विनिर्मित औषधि''** से अभिप्रेत है–

(क) कोका के सभी व्युत्पाद, ओषधीय कैनेबिस, अफीम के व्युत्पाद और पोस्त तृण सांद्र;

(ख) ऐसा कोई अन्य स्वापक पदार्थ या निर्मिति, जिसको केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अधीन किसी विनिश्चय को यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्मित औषधि घोषित करे, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई स्वापक पदार्थ या निर्मिति नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अधीन उसकी प्रकृति के या किसी विनिश्चय के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसचूना द्वारा विनिर्मित औषधि न घोषित करे;

(xii) **''ओषधीय कैनेबिस''** अर्थात् ओषधीय हैम्प से कैनेबिस (हैम्प) का कोई सार या टींक्चर अभिप्रेत है;

PTS Kherwara, Udaipur

(xiii) **''स्वापक आयुक्त''** से धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वापक आयुक्त अभिप्रेत है;

(xiv) **''स्वापक औषधि''** से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्त तण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी

(xv) **''अफीम''** से अभिप्रेत है,

(क) अफीम पोस्त या स्कंदित रस रू और

(ख) अफीम पोस्त के स्कंदित रस का कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई निर्मिति नहीं है जिसमें 0.2 प्रतिशत से अनधिक मार्फीन होय

(xvi) **''अफीम के व्युत्पाद''** से अभिप्रेत है,

(क) ओषधीय अफीम अर्थात् ऐसी अफीम जिसका भारतीय भेषजकोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य भेजकोष की अपेक्षाओं के अनुसार ओषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रसंस्कार कर दिया जाता है, चाहे वह चूर्ण के रूप में या कणिका के रूप में या अन्यथा हो अथवा निष्प्रभावी पदार्थों से मिश्रित हो;

(ख) निर्मित अफीम अर्थात् अफीम को धूमपान के उपयुक्त सार में रूपांतरित करने के लिए परिकल्पित किन्हीं क्रमबद्ध संक्रियाओं द्वारा अभिप्राप्त अफीम का कोई उत्पाद और अफीम का धूम्रपान करने के पश्चात् बचा हुआ कोई मंडूर या अन्य अवशेष य लवण य और

(ग) फिनेंथ्रीन ऐल्केलाइड, अर्थात् मार्फीन, कोडीन, थिबेन और उनके लवण;

(घ) डाइऐसीटल मार्फीन अर्थात् ऐल्केलाइड जिसे डाइ–मार्फीन या हिरोइन कहा जाता है और उसका

(ङ) सभी निर्मितियां, जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फीन या डाइऐसीटल मार्फीन हो;

(xvii) **''अफीम पोस्त''** से अभिप्रेत है, –

(क) पैपेवर सोन्नीफेरम एल० जातियों का पौधा; और

(ख) पैपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिससे अफीम या फिनेंथ्रीन ऐल्केलाइड निकाला जा सकता है। और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्त घोषित करे;

(xviii) **''पोस्त तण''** से फसल कटाई के पश्चात अफीम पोस्त के (बीजों के सिवाय) सभी भाग अभिप्रेत हैं चाहे वे मूल रूप में या कटे हुए, संदलित या चूर्णित हों और चाहे उनमें से रस निकाला गया हो या न निकाला गया हो;

(xix) **''पोस्त'' ''तृण सांद्र''** से अभिप्रेत है उस समय उत्पन्न पदार्थ जब पोस्त तृण का उसके ऐल्केलाइड के सांद्रण के लिए प्रसंस्कार प्रारम्भ कर दिया गया हो;

(xx) स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के सम्बन्ध में ''निर्मिति'' से अभिप्रेत है खुराक के रूप में कोई एक या अधिक ऐसी औषधियां या पदार्थ या ऐसी एक या अधिक औषधियां या पदार्थ को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई घोल या मिश्रण चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो;

(xxi) **''विहित''** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(xxii) ''उत्पादन'' से अफीम, पोस्त तृण कोका की पत्तियों या **कैनेबिस** का ऐसे पौधों से, जिनसे वे प्राप्त होते हैं, पृथक् किया जाना अभिप्रेत है;

(xxiii) **''मनः प्रभावी पदार्थ''** से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मिति **;**

RTS Kherwara, Udaipur

'[(xxiiiक) स्वापक ओषधी और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में ''अल्प मात्रा'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतर कोई मात्रा अभिप्रेत है ;]

(xxiv) ''अन्तरराज्यिक आयात'' से भारत के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से लाना अभिप्रेत है;

(xxv) ''भारत में आयात'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारत में किसी पत्तन या विमानपत्तन या स्थान में ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ लाना है, जिसे ऐसे किसी जलयान, वायुयान, यान या किसी अन्य प्रवहण से, जिसमें उसका वहन किया जा रहा है, हटाए बिना भारत के बाहर ले जाने का आशय है।

स्पष्टीकरण–इस खंड और खंड (xxvi) के प्रयोजनों के लिए ''भारत'' के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड हैं;

(xxvi) ''भारत से निर्यात'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भारत के बाहर किसी स्थान तक भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(xxvii) ''अन्तरराज्यिक निर्यात'' से भारत के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ले जाना अभिप्रेत है।;

(xxviii) ''परिवहन'' से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

'[(xxviiiक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में, ''उपयोग'' से व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग अभिप्रेत है ;]

(xxix) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ख्भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में हैं।

**स्पष्टीकरण–**खण्ड (अ), खण्ड (अप), खण्ड (xv) और खण्ड (xvi) के प्रयोजनों के लिए द्रव निर्मितियों की दशा में प्रतिशतता का परिकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उस निर्मिति से जिसमें पदार्थ का एक प्रतिशत है ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें उस पदार्थ का, यदि वह ठोस है तो, एक ग्राम या उस पदार्थ का यदि वह द्रव है तो एक मिलिटर, उस निर्मिति के प्रत्येक एक सौ मिलीलिटर में अन्तर्विष्ट है और यही अनुपात किसी अधिक या कम प्रतिशतता के लिए होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, द्रव निर्मितियों में प्रतिशतताओं की संगणना की पद्धतियों के क्षेत्र में हुए विकासों को ध्यान में रखते हुए, नियमों द्वारा, ऐसे कोई अन्य आधार विहित कर सकेगी जो वह ऐसी संगणना के लिए समुचित समझे।

**8. कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध–** कोई व्यक्ति –

(क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहरू या

(ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती; या

(ग) किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भाण्डागारण, उपयोग, उपभोग, अन्तरराज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन

PTS Kherwara, Udaipur

बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नहीं:

परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततुण के निर्यात को लागू नहीं होगी।

**15. पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड –** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी यम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्त तृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसको भाडागारण में रखने का लोप करेगा या भाडागारित पोस्त तृण को टाएगा या उसकी बाबत कोई कार्य करेगा, वह–

(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 21 एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से :

(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा;

(ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा

**16. कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–**जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**17. निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम का विनिर्माण, कब्जा, क्रय विक्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह, (क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 3 एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से ; या

PTS Kherwara, Udaipur

(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा : या

(ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा रू

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

**18. अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–**जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम पोस्त की खेती या अफीम का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह –

(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ख्एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से :

(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा :

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ;

(ग) किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।।

**19. खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड–**केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

**20. कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में,–

(क) किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करेगा ; या

(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा :

2[(1) जहां उल्लंघन खंड (क) के संबंध में है वहा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और

(ii) जहां उल्लंघन खंड (ख) के संबंध में है, –

(अ) और अल्पमात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ख एक वर्ष, तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से

PTS Khetwara, Udaipur

(आ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा;
(इ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;
परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगाः

**21. विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह
(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ख्एक वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से, दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से
(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा;
(ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा **:**
परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा

**22. मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड–**जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह –
(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ख्एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से :
(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा
(ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः
परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

**29. दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड–** (1) जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया


PTS Kherwara Udaipur

जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा।
(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, जो–
(क) यदि भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करता, या (ख) ऐसे स्थान की विधियों के अध ीन स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसे ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्तें हैं जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता।

**37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ख्भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), में किसी बात के होते हुए भी,
(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगाय
(ख) [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधि ात अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध] के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब–
(i) लोक अभियोजक को ऐसी नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन करने का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और
(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46)] या तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त है।

**41. वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार** (1) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे
जो अवैध अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, या कोई ऐसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, रखी या छिपाई गई है, दिन में या रात में, तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकेगा।
(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता

PTS Kherwara, Udaipur

है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार के, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने के साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समहरण के लिए दायी है किसी भवन, प्रवहण या स्थान में रखी या छिपाई गई है, अपने अधीनस्थ किन्तु किसी चपरासी, सिपाही, या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यवति को गिरफ्तार करने के लिए अथवा किसी भवन, प्रवहण या स्थान की, दिन में या रात में, तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा अथवा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी ले सकेगा।

(3) ऐसे अधिकारी को, जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई वारंट संबोधित किया जाता है और ऐसे अधिकारी को, जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को, जिसे उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है,
धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

**42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति –**

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, –

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगाय

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का

PTS Kherwara Udaipur

साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा और (घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा :

परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित औषधियों या मनः प्रभावी दार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :

परंतु यह और कि, यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसीअपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

**43. लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति–धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी–**

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगाय

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ हैं और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। पदेश

**स्पष्टीकरण–**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, लोक स्थान पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है।,

**44. कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे से संबंधित अपराधों में प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति–** धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के

उपबंध, जहां तक हो सके, अध्याय 4 के अधीन दण्डनीय और कोका के पौधे, अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे से संबंधित अपराधों के संबंध में लागू होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए उन धाराओं में स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों 'अथवा नियंत्रित पदार्थों, के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेविस के पौधे के प्रति निर्देश हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

**50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी** (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए। (4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी। (5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में की किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 103] में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

**50क. नियंत्रित परिदान जिम्मे लेने की शक्ति**–धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी–

(क) भारत में किसी गंतव्य के लिएय

(ख) विदेश को, ऐसे विदेश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, जिसको ऐसा परेषण भेजा जाना है, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, किसी परेषण के नियंत्रित परिदान को अपने जिम्मे ले सकेगा।

**57. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट**– जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अड़तालीस घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

**57क. अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट –** जब कभी धारा 53 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है और अध्याय 5क के उपबंध ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के मामले में संलिप्त किसी व्यक्ति को लागू होते हैं तो अधिकारी, गिरफ्तारी या अभिग्रहण के नब्बे दिन के भीतर, अधिकारिता वाले सक्षम प्राधिकारी को उस व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा।

PRS Kherwara, Udaipur

## ✔ Identification of places/ spot where the Drugs is sold- university/ colleges/ school/ etc. and way to prevent (उन जगहों/जगहों की पहचान जहां ड्रग्स बिकते हैं - यूनिवर्सिटी/कॉलेज/स्कूल/वगैरह और उन्हें रोकने का तरीका)

**1. भूमिका–**

- **उद्देश्य–** युवाओं को नशे से बचाना कानून–व्यवस्था के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण का विषय है।
- **प्रमुख बिंदु–**
- स्कूल/कॉलेज के छात्र पेडलर्स के आसान शिकार होते हैं।
- ड्रग्स की आपूर्ति श्रृंखला में शिक्षण संस्थान सबसे संवेदनशील बिंदु होते हैं।

**2. हॉटस्पॉट्स की पहचान– ड्रग्स कहाँ बेचे जाते हैं?**

शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर से 500 मीटर के दायरे में निम्नलिखित स्थान मुख्य हॉटस्पॉट होते हैं–

- पान के टपरी, चाय/सिगरेट के खोखे–
- अक्सर सिगरेट, गुटखा या टॉफी–चॉकलेट के आड़ में कोडीन सिरप, गांजा या सिंथेटिक ड्रग्स (MDMA, Pills) बेचे जाते हैं।
- किराए के मकान, हॉस्टल व पेइंग गेस्ट के आसपास–
- संस्थान के बाहर बने अनधिकृत हॉस्टल या पीजी जहाँ सुरक्षा या सीसीटीवी कैमरे नहीं होते।
- सुनसान और अंधेरे वाले स्थान–
- कैंपस की बाहरी बाउंड्री वॉल, पुराने/खंडहर भवन, रेलवे ट्रैक के पास के रास्ते, या कैंपस के पीछे के पार्क।
- फूड जॉइंट्स और कैफे–
- कॉलेज के पास स्थित हुक्का बार, लेट–नाइट कैफे और फास्ट–फूड जॉइंट्स।
- कैंपस के मुख्य द्वार और पार्किंग एरिया–
- जहाँ डिलीवरी बॉय, ऑटो/कैब ड्राइवर या छात्र के रूप में छिपे एजेंट संदिग्ध मूवमेंट करते हैं।

**3. मोडस ऑपरेंडी और संदिग्ध गतिविधियों के संकेत–**

- **बेचने के नए तरीके–**
- QR कोड व डिजिटल पेमेंटरू नकद लेनदेन से बचने के लिए यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग।
- ऑनलाइन फूड/कुरियर डिलीवरी के जरिए– डिलीवरी एजेंट बनकर पार्सल पहुँचाना।
- सोशल मीडिया व मैसेजिंग ऐप्स– टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कोडवर्ड्स का इस्तेमाल।
- **संदिग्ध आचरण के संकेत–**
- बिना किसी काम के लगातार खोखों या हॉस्टल के बाहर मोटरसाइकिल/स्कूटी पर खड़े रहना।
- छात्रों द्वारा गुप्त कोड वर्ड्स का उपयोग करना (जैसे– सामान, स्टफ, ग्रीन, आइस)।
- स्कूल/कॉलेज के समय के तुरंत बाद या लंच ब्रेक के दौरान अचानक कुछ दुकानों पर भीड़ बढ़ना।

**4. रोकथाम और पुलिस की रणनीति**

(A) फील्ड और इंटेलिजेंस कार्रवाई–

- **बीट पुलिसिंग** बीट कांस्टेबल का स्थानीय दुकानदारों, ऑटो चालकों और हॉस्टल वार्डन के साथ मजूबत सूचना नेटवर्क।

PTS Kherwara, Udaipur

- **सरप्राइज चेकिंग और गश्त–** स्कूल/कॉलेज खुलने और बंद होने के समय सिविल ड्रेस में सादे कपड़ों की पुलिस टीम की तैनाती।
- **CCTV मॉनिटरिंग–** कैंपस के आसपास की मुख्य दुकानों और बाउंड्री वॉल के पास सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य करना।

**(B) कानूनी प्रावधान–**

- **NDPS Act, 1985:** छोटी मात्रा और व्यावसायिक मात्रा के आधार पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई करना।
- **COTPA Act (Section 6):** शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना और चालान काटना।
- **संदेह के आधार पर जांच–** बीएनएसएस के तहत संदिग्ध दुकानों और वाहनों की समय–समय पर तलाशी लेना।

**(C) संस्थागत समन्वय–**

- **एंटी–ड्रग स्क्वाड/सेल** प्रत्येक कॉलेज/यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर 'Anti-Drug Committee' का गठन कराना।
- **ड्रॉप बॉक्स–** कैंपस के अंदर गुप्त शिकायत बॉक्स लगवाना ताकि छात्र बिना पहचान उजागर किए पेडलर्स की सूचना पुलिस को दे सकें।
- **जागरूकता अभियान–** NCB और पुलिस द्वारा ड्रग–फ्री कैंपस जागरूकता सत्र चलाना।

PTS Kherwara, Udaipur

- **Drug Related Crimes: Sensitization of Trainees on Utilization of various Application and Database (नशीली दवाओं से सम्बन्धित अपराधः— विभिन्न एप्लीकेशन और डेटाबेस के उपयोग):—**

नशीली दवाओं और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम, जांच, डेटाबेस प्रबंधन और जन—जागरूकता के लिए भारत में कई पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा रहा है।

- **NIDAAN (National Integrated Database on Arrested Narco-Offenders)**

यह देश भर में गिरफ्तार किए गए सभी नार्को—अपराधियों का एक एकीकृत और केंद्रीय डेटाबेस है।

**मुख्य विशेषताएं व उपयोग—**

1- ICJS एवं e-Prisons से एकीकरण— यह Inter-operable Criminal Justice System, e-Prisons और NCB के SIMS (Seizure Information Management System) से सीधे जुड़ा हुआ है।

2. फिंगरप्रिंट सर्च किसी संदिग्ध का बायोमेट्रिक/फिंगरप्रिंट लेते ही उसका राष्ट्रीय स्तर का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ जाता है।

3. नेटवर्क एवं फॉरवर्ड—बैकवर्ड लिंकेज— अंतर—राज्यीय अपराधियों के नेटवर्क, आदतन अपराधियों की निगरानी और संपत्ति जब्ती में मददगार।

4. PITNDPS प्रस्ताव— नार्को—अपराधियों को PITNDPS अधिनियम (Prevention of Illicit Traffic in NDPS) के तहत निरुद्ध करने के प्रस्ताव तैयार करने में इसका डेटा उपयोगी साबित होता है।

- **NCORD (Narco Coordination Centre) Portal**

यह भारत का 4—स्तरीय समन्वय तंत्र (Apex, Executive, State, District Level) का डिजिटल पोर्टल है।

**मुख्य उद्देश्य—**

1. पुलिस, NCB, BSF, कस्टम्स और आबकारी जैसे सभी स्टेकहोल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना।

2. जिला स्तर की बैठकों के निर्णयों और खुफिया इनपुट्स का रीयल—टाइम आदान—प्रदान।

- **1933-MANAS (Madak-Padarth Nished Asoochna Kendra)**

जुलाई 2024 में शुरू किया गया 1933—MANAS नागरिकों और पीड़ितों के लिए 24•7 उपलब्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन और पोर्टल है।

**जांच अधिकारी के दृष्टिकोण से MANAS का महत्व—**

1. अनाम सूचनाएं— नागरिक बिना अपनी पहचान उजागर किए नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण या खेती के सटीक इनपुट दे सकते हैं।

2. कानूनी सुरक्षा— धारा 68 NDPS Act एवं धारा 131 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मुखबिर की पहचान उजागर करने के लिए पुलिस को बाध्य नहीं किया जा सकता।

3. ANTF और जोनल यूनिट्स से त्वरित समन्वय— MANAS पर आने वाली शिकायतों को सीधे संबंधित राज्य की ANTF (Anti-Narcotics Task Force) और स्थानीय पुलिस स्टेशन को त्वरित कार्रवाई हेतु ट्रांसफर किया जाता है।

PTS Kherwara, Udaipur

## Module- A- 14- NDPS (Day-05) (Session-24)
## Paper- 05(A)- Forensic Science (01 Session)
## सुरा औषधि एवं नारकोटिक पदार्थ
## Alcohol, Drug and Narcotic Substances

### सुरा (Alcohol)–

एल्कोहल अन्य विष की अपेक्षा मृत्यु के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी पाया जाता है। भारत में कच्ची शराब के उपयोग से मृत्यु की दर सर्वाधिक है। सड़क दुर्घटना एवं अन्य दुर्घटनाएँ, प्रशासन की दृष्टि में बड़े पैमाने पर एल्कोहल सेवन के प्रति संदेह उत्पन्न कर देती है। सरकार द्वारा एल्कोहल का उपयोग सामाजिक बुराई माना गया है। प्रशासनिक समितियों हेतु एल्कोहल की प्रकृति, साक्ष्यों को संग्रहित करने के तरीके आदि की जानकारी अनिवार्य एवं आवश्यक है जिससे कि अपराधियों को अभियोजित करने में सफलता प्राप्त हो सके।

मिथाइल एल्कोहल मानव उपयोग हेतु निषिद्ध है परन्तु इथाइल एल्कोहल के स्थान पर इसका निरन्तर उपयोग जारी है। यह अप्राकृतिक स्प्रिट शराबियों के उपयोग में प्रमुख होती है, क्योंकि इसकी उपलब्धता सुलभ एवं इसका मूल्य कम होता है।

एल्कोहल सामाजिक पेय का एक सक्रिय यौगिक है–

- किण्वन (fermentation) द्वारा सुरा का निर्माण।
- स्प्रिट एवं सुरा का निर्माण शोधन (distillation) क्रिया के द्वारा।
- झाग के द्वारा एल्कोहल पैदा कर कुछ विशिष्ट सुरा का निर्माण यथा–ब्रान्डी, शेरी इत्यादि।
- सामान्यतयाः प्रचलित एल्कोहलयुक्त पेय ईथाईल एल्कोहल की मात्रा निम्नलिखित होती है रू–

| | | |
|---|---|---|
| बीयर | – | 4–11% |
| वाईन, पोर्ट, शेरी | – | 14 से 22% |
| रम | – | 42.8% |
| विस्की, जिन, ब्रान्डी | – | 42.8% |

उपर्युक्त एल्कोहलयुक्त पेय "भारत हेतु विदेशी सुरा है"। देशी सुरा जिसे कोको, ताड़, चावल एवं चीनी के द्वारा उबालकर और साफ कर बनाया जाता है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से प्रचलित है, उदाहरणार्थ – अर्क, गोदम्बा, खोवरी, लट्ठा आदि।

एल्कोहल तथा शरीर पर उसका प्रभाव–भोजनोपरान्त एल्कोहल की मात्रा ग्रहण करने पर वह तेजी से आहार–नाल के माध्यम से पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है। अवशोषण की मात्रा उसके तत्वों पर निर्भर करती है :–

- एल्कोहल का द्रव रूप में उपयोग।
- पेट में भोजन की उपस्थिति/अनुपस्थिति ।
- पीने की मात्रा।
- प्रयुक्त एल्कोहल की मात्रा।
- शरीर का वजन।
- पाचन शक्ति ।

PTS Kherwara, Udaipur

एल्कोहल ग्रहण करने का प्रभाव समान रूप से शरीर के लगभग सभी उत्तकों (tissue) पर पड़ता है परन्तु चर्बीयुक्त ऊतकों तथा इड्डियों पर इसका प्रभाव कम होता है। रक्त में एल्कोहल की घुलनशीलता के साथ हृदय में उपस्थित रक्त में इसकी घुलनशीलता लगभग 1 या 1/2 घंटा में संभव होती है।

एल्कोहल का प्रभाव यद्यपि शरीर के समस्त अंगों पर पड़ता है परन्तु मुख्य रूप से मस्तिष्क एवं केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) इससे प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त नियमित सेवन से व्यक्ति की गतिविधि, वाक्शक्ति एवं हावभाव पूर्णतः प्रभावित होते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की गतिविधि एवं कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। सेवन के पश्चात् व्यक्ति की लड़खड़ाहट एवं उसके मतवालापन में वृद्धि हो जाती है। अन्ततः श्वसन तंत्र (respiratory System) पर मानसिक दबाव बढ़ने से व्यक्ति कोमा (coma) में चला जाता है। एल्कोडल का प्रभाव स्वास्थ्य की स्थिति तथा पीने की आदत से परिवर्तित होता है।

रक्त/ऊतक द्वारा शरीर को प्राप्त एल्कोहल प्रतिघंटा 10 ग्राम की दर से प्रसारित होता है जो 200 उस. प्रतिघंटा विस्की के प्रसारण के बराबर होता है। यदि इसका प्रयोग इस मापदण्ड से अधिक हो तब रक्त में एल्कोहल का स्तर बढ़ता है तथा व्यक्ति की एल्कोहल बर्दाश्त करने की क्षमता का स्तर बढ़ जाता है। एल्कोहल की अल्प मात्र श्वास तथा पेशाब के माध्यम से उत्सर्जित हो सकती है। लगभग 90% एल्कोहल ऑक्सीकरण के द्वारा बाहर जाता है जो एल्कोहल के परिवर्तित रूप एसेटेलडिहाइड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में होता है।

समस्या की प्रकृति (Nature of Problem) – मद्यपान के संदिग्ध प्रकरणों में विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य अपराधिक घटनाओं में रक्त तथा पेशाब में इसकी मात्रा से जानकारी देता है।
निषेध के प्रयोगों में, राज्य कानून तथा अन्य आबकारी कानून के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एल्कोहल के शोधन से उत्पन्न भाग, कच्ची शराब तथा वार्निश आदि में एल्कोहल की मात्रा की जांच की जाय।

समस्या की प्रकृति (Nature of Problem) – मद्यपान के संदिग्ध प्रकरणों में विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य अपराधिक घटनाओं में रक्त तथा पेशाब में इसकी मात्रा से जानकारी देता है।
निषेध के प्रयोगों में, राज्य कानून तथा अन्य आबकारी कानून के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एल्कोहल के शोधन से उत्पन्न भाग, कच्ची शराब तथा वार्निश आदि में एल्कोहल की मात्रा की जांच की जाय।

एल्कोहल के अत्यधिक सेवन या कच्ची शराब के उपभोग या विषाक्त एल्कोहल से हुई मौत के प्रकरण में आवश्यक हो जाता है कि विसरा के परीक्षण से शरीर में एल्कोहल की प्रकृति या एल्कोहल तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाये।

विषाक्त एल्कोहल के चिन्ह एवं लक्षण–विषाक्त एल्कोहल के लक्षण, केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की मानसिक दबाव से संबंधित क्रियाओं के कारण दृष्टिगत होते हैं। सामान्यतयाः तीन स्थितियाँ दृष्टिगोचर होती है :–

- उत्तेजना
- असंयोजन
- मूर्छा

उत्तेजना की अवस्था में रक्त में एल्कोहल की सांद्रता (concentration) लगभग 0.05–0.1: (50–100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली लीटर) होती है।
0.1: या उससे अधिक एल्कोहल की मात्रा शरीर में उपस्थित होने पर व्यक्ति गाड़ी चलाने हेतु उपयुक्त नहीं माना जाता है।

PTS Kherwara, Udaipur

असंयोजन की स्थति में व्यक्ति घबराया हुआ रहता है। उसकी आवाज अस्पष्ट एवं तोताली हो जाती है तथा उसकी लड़खड़ाहट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वह गाड़ी चलाता है तो दुर्घटना को आमंत्रित करता है। इस अवस्था में एल्कोहल की सांद्रता 0.1–0.3% (100–300 मिली ग्राम प्रति 100 मिली लीटर) के बीच में होती है।

असंयोजन की स्थति में व्यक्ति घबराया हुआ रहता है। उसकी आवाज अस्पष्ट एवं तोताली हो जाती है तथा उसकी लड़खड़ाहट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वह गाड़ी चलाता है तो दुर्घटना को आमंत्रित करता है। इस अवस्था में एल्कोहल की सांद्रता 0.1–0.3% (100–300 मिली ग्राम प्रति 100 मिली लीटर) के बीच में होती है।

मूर्छा की स्थिति वस्तुतः बेहोशी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है। इस स्थिति में एल्कोहल की सांदता 0.3% (300 एम०जी०) और उससे अधिक होती है। यदि रक्त में एल्कोहल की सांद्रता 0.4 0.5 (400–500 एम०जी००:) अधिक हो तो मौत निश्चित होती है।

**नमूनों का संग्रहण (Collection of Sample) –** मद्यपान के मामले में रक्त, पेशाब और श्वसन क्रिया के नमूनों का संग्रह किसी अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आग्रह पर करने के पश्चात् एल्कोहल की मात्रा की जानकारी के लिए प्रयोगशाला में प्रेषित करना चाहिए। रक्त नमूनों का संग्रहण करते समय चिकित्सक को इस बात का ध्यान रखना वांछित है कि सिरिज एवं त्वचा को साफ करने के लिए एल्कोहल का प्रयोग न किया जाये जिससे कि गलत धनात्मक (Positive) परिणाम प्राप्त हो। समस्त नमूनों का संग्रहण स्वच्छ एवं छिद्र रहित बर्तनों में निम्न प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए :–

- रक्त में एल्कोहल की मात्र की जाँच के लिए 10 से 20 मिलीलीटर (मिली) की परखनली में 5 से 10 मिलीलीटर रक्त लिया जाना वांछित है। उसको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम क्लोराईड (साधारण नमक) 10 मिली ग्राम तथा पोटाशियम ऑकजिलेट 30 मिली ग्राम मिलाकर तत्काल उसे उचित प्रकार से बन्द कर देना चाहिए जिससे वाष्पीकरण संभव न हो। नमूने को भली–भांति फ्रिज में रखना चाहिए एवं अति शीघ्र जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना चाहिए।
- पेशाब के नमूने को एक बड़ी स्वच्छ बोतल में रखना चाहिए जिसमें स्कू लगा ढक्कन हो तथा उसके तंतुओं की सुरक्षा के लिए 30 मिली ग्राम फिनाइल मरक्यूरिक नाइट्रेट प्रति 10 मिलीलीटर पेशाब के साथ मिला होना चाहिए।
- मद्यपान के संदिग्ध मामलों में व्यक्ति की सांस को रबर या प्लास्टिक के बैलून में बन्द कर देना चाहिए। एल्कोहल के गंध के विश्लेषण के लिए ब्रेथएनालाइजर का उपयोग किया जाता है। यह जाँच प्रारम्भिक परीक्षण के लिए की जाती है।
- कच्ची शराब की न्यूनतम 500 मिली ग्राम मात्रा एल्कोहल की जाँच के लिए भेजी जानी चाहिए।
- विसरा की जाँच के लिए सलाईन (साधारण नमक) घोल में परिरक्षण कर भेजी जानी चाहिए।

एल्कोहल का निर्धारण मद्यपान से जुड़े अपराधों में यह जानना आवश्यक होता है कि रक्त में एल्कोहल की मात्रा क्या है? संदिग्ध व्यक्ति की जांच अव्यवहारिक आदत तथा सांस, पेशाब एवं रक्त में एल्कोहल की मात्रा से की जा सकती है। सांस के विश्लेषण हेतु किसी आरक्षीध्सक्षम पदाधिकारी द्वारा सांस विश्लेषक यंत्र गया–एल्कोमीटर, इनटॉक्सीलाईजर और जीसी इनटॉक्सीमीटर में किसी बैलून में सांस को बन्द कर यंत्र के माध्यम से जांच किया जा सकता है जिससे कि उपस्थित एल्कोहल की मात्रा ज्ञात हो सके। यदि यह परीक्षण निश्चयात्मक नहीं होगा तथा अन्वेषक को मात्र एल्कोहल की उपस्थिति की सूचना देगा। पूर्ण निश्चयात्मक निर्धारण के लिए रक्त

PTS Kherwara, Udaipur

में एल्कोहल की मात्र का परीक्षण अनिवार्य होगा। यदि जाँच एल्कोहल की मात्रा के सार को ऊँचा दिखाती है तब स्वीकृत सीमा के अनुसार रक्त एवं पेशाब संग्रहित कर उचित विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा जाना वांछित है।

**औषधि एवं मादक पदार्थ (Drugs and Narcotics)–**

औषधि एक प्राकृतिक समन्वित उत्पाद है जिसका प्रयोग मनुष्य में भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में औषधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अर्थ रखती दिखती है। भोजन के अतिरिक्त वह पदार्थ जिसका मनुष्य द्वारा सेवन करने पर उसकी सामान्य कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है उसे औषधि कहते हैं। किसी व्याधि का पता लगने पर कुछ परिस्थितियों में औषधि की अनिवार्यता जीवन की रक्षा तथा लम्बी आयु के लिए होती है तो कुछ परिस्थिति में जीवन के दबाव से बचने का रास्ता दिखाती है। किसी व्याधि का पता लगाने, उसकी रोकथाम एवं उपचार करने में उपयोग किये गये पदार्थ भी औषधि की परिभाषा में आते हैं।

नारकोटिक शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द नारकोटिकौसष से हुई है जो सुस्ती तथा ढीलापन का द्योतक है। दवा की दृष्टि से नारकोटिक्स एक ऐसा उत्पाद है जो दर्द निवारण एवं अच्छी निद्रा प्रदान करना है। उदाहरणार्थ अफीम तथा अफीम से निकाले पदार्थ यथा मॉरफीन, हेरोइन एवं कोडीन समन्वित अफीम जैसे पेथीडीन व मेथाडीना खतरनाक दवायें या इंद्रियों पर दबाव डालने वाले उत्पादों की दवायें ही नारकोटिक औषधे होती है जो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति को प्रभावित करके केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पर मानसिक दबाव या दिग भ्रामक प्रभाव पैदा करती है।

औषधि उपभोग की समस्या–विश्व के पश्चिमी देशों में खतरनाक औषधियों के उपभोक्ताओं की संख्या में बढोत्तरी हुई है। वर्तमान में भारत में यह समस्या इतनी खतरनाक नहीं है परन्तु अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मेट्रोपोलिटन नगरों में अधिकांश युवा एवं विद्यार्थी वर्ग में तथा कुछ प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में औषधि का उपभोग बढ़ गया है। औषधिमूलक समस्या के कारण विधायिका पारित की गई जिससे कि औषधि के उपभोक्ताओं को औषधि मिलने में कठिनाई हो। औषधि उपभोक्ता को साधारणतया तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

छात्र वर्ग जो परीक्षा हेतु जगने की दृष्टि से अनिद्राकारी (एंगफेटागाईक्स) गोली लेते हैं। अथवा मानसिक दबाव से ग्रस्त महिला जो नींद हेतु निद्राकारी (ऐमफेराभाईन्स) गोलियों लेती है।

वह व्यक्ति जो उच्छश्रृंखलातावश अथवा मात्र अनुभव हेतु अथवा करिश्माई गुण के प्रदर्शन के लिए औषधि/दवा का प्रयोग करते हैं।

वह व्यक्ति जो दवा के बगैर कुछ करने में समर्थ दी नहीं होते।

**वर्गीकरण :**

(i) उद्‌गम के आधार पर (Based on Origin)

- प्राकृतिक (Natural)– यह प्रकृति में जड़, तने, पत्ती, पुष्प, फल, छाल, रेजिन एवं दूधिया तरल में पाये जाते हैं। उक्त औषधियाँ अपरिष्कृत एवं कच्ची प्राकृतिक औषधियों होती है उदाहरणार्थ अफीम, गांजा, चरस, भांग आदि।
- अर्द्ध संश्लेषित (Semi synthetic)– औषधि के प्रभाव को बढ़ाने एवं शरीर पर पढ़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने, मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थ से निर्मित औषधियाँ, अर्द्धसंश्लेषित कहलाती है उदाहरणार्थ हेरोईन, मार्फीन आदि।
- संश्लेविटा (Syntbetic) ऐसी औषधियाँ पूर्णताया मानव निर्मित होती है उदाहरणार्थ मेथीडीन, नेथाडॉन आदि।

PTS Kherwara, Udaipur

(ii) प्रभाव के आधार पर (Based on action)– कोई भी औषधि जो दवाई के रूप में निद्रा अथवा मूर्च्छा उत्पन्न करे उसे नारकोटिक औषधि कहते हैं। इनके सेवन के पश्चात् उपभोक्ता सुस्त या बेचौन हो जाते हैं। सुस्ती का प्रभाव केन्द्रीय नाड़ीतंत्र पर पढ़ता है जो उसे धीरे–धीरे निष्क्रिय बनाती है। दवा उपभोक्ताओं पर प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वे दवा ग्रहण करने के पश्चात् उच्च भाव से ग्रस्त हो जाते हैं जिसकी अवस्था बहुत चौन और आराम की होती है, जो सच्चाई से कोसों दूर होती है। दन तथा जिसकी दवा उपभोक्ता कल्पना तक नहीं कर सकते। दिमाग की काल्पनिक अवस्था यूफोरिया (Euphoria) के नाम से जानी जाती है। उपरोक्त औषधियाँ अधिक मात्र में लेने पर मूर्च्छा एवं कोमा के पश्चात् मृत्यु हो सकती है। उक्त औषधियाँ निम्नांकित है–

- गांजा, मांग, चरस आदि
- अफीम एवं मार्फीन एल्कोलॉयड
- कोडीन
- संश्लेषित औषधि यथा पेथीडीन

उपरोक्त वर्णित कतिपय औषधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नवत है–

**अफीम (Opium)** – अफीम एक दूधिया घोल है जो पोस्ता, चवचचलद्ध के पौधे प्राप्त किया जाता है। इनका वानस्पतिक नाम पेपावर सोमनिफेरम (Papavers omniforum) है का उत्पाद थोड़ा काला व गहरे भूरे रंग का होता है जो हवा के प्रभाव से जमता है। भारतवर्ष के राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। कच्ची अफीम अन्य वस्तुओं से पृथक है क्योंकि इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। इसका अत्यधिक प्रयोग चुरूट द्वारा धुम्रपान में होता है। इसका संधातिक प्रयोग व्यक्ति को भौतिक तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त बनाता है। शरीर में इसकी आपूर्ति बन्द हो जाने पर शरीर की स्थिति बदतर होने लगती है यथा–घबराहट, बैचेनी, चिन्ता, श्वेदप्रवाह, आँसू बहना आदि।

**मार्फीन (Morphine)** – मार्फीन कच्चे अफीम की जड़ से एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है। औसत प्रति 10 किलोग्राम कच्चे अफीम से एक किलोग्राम मार्फीन की प्राप्ति होती है। सामान्यतया यह गंधहीन सफेद रवेदार पूर्ण के रूप में घोर बाजार में उपलब्ध होती है। यह गोली, कैप्सूल और द्रव रूप में भी उपलब्ध होती है। मार्फीन को सामान्यतया सुई के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका मानसिक तथा शारीरिक प्रभाव तत्काल उपभोक्ता पर पड़ता है। यूफोरिक टावस्था की प्राप्ति मार्फीन के द्वारा जब उपभोक्ता करता है तो उसे निद्रा या आराम की स्थिति की प्राप्ति होती हैं तथा उन क्षणों में उत्तकी आंखों की पलकें अर्द्धनिलिप्त होती हैं। मार्फीन एक दर्द निवारक दवा के रूप में तीन से पांच गुणा सक्षम होती है।

**हेरोइन (Heroin)** – हेरोईन की उत्पत्ति मार्फीन से हुई है। यह गंधहीन रवेदार सफेद चूर्ण है जिसका कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है। हेरोईन अशुद्ध रूप में ब्राउन शुगर (brown sugar) के रूप में जाना जाता है। यह पाउडर और कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होता है। यह मार्फीन से 10 से 15 गुणा अधिक प्रभावशाली होता है। हेरोईन सुई के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। प्रण शक्ति के द्वारा भी इसे ग्रहण किया जाता है। हेरोइन मार्फीन से अधिक प्रभावशाली होने के कारण इसका गंभीर एवं विनाशकारी प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है।

फल के अग्र भाग (flowering top) के सूखे भाग, तने तथा बीज का प्रयोग सिगार के रूप में किया जाता है। "हशीश" का एक नया रूप जिरो शीश आयल (Ilashish Oil) कहा जाता है। काले बाजार में उपलब्ध होता है। कैनाबिस पौधे का बार–बार निष्कर्षण से द्रव कैनाबिस प्राप्त करते हैं। मैरिजुआना के उपभोग का प्रभाव मानसिक होता है। सेवन के कुछ समय पश्चात् शरीर में ऐंठन

PTS Kherwara- Udaipur

होना इसका प्रमुख प्रभाव है। अन्य प्रभावों में गहरे अनुभव में बदलाव, एकाग्रशक्ति, चक्कर आना, दूर की सोच, भावनात्मक उद्देश्य महत्वपूर्ण है।

**कोडीन (Codine)** — कोडीन की प्राप्ति अफीम से होती है परन्तु यह दर्द निवारक के रूप में कम प्रभावकारी है। यह गोली, कैप्सूल एवं द्रव के रूप में उपलब्ध होती है। यह शरीर में मुखद्वार अथवा सुई के द्वार प्रविष्ट होती है। औषधि के क्षेत्र में कोडीन मित्त विकारों को दूर करने तथा दर्दनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। अफीन युक्त पदार्थ उपलब्ध न होने पर व्यसनी व्यक्ति कोडीन का सेवन करते है। कफ सिरप बनाने में भी यह प्रयोग में लायी जाती है।

**समन्वित अफीमयुक्त पदार्थ**— समन्वित अफीन उपभोक्ता पर मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव छोड़ती है परन्तु इसका प्रभाव मार्फीन या हेरोइन की अपेक्षा कम होता है। मेथाडीन तथा पेथाडीन जिसका व्यावसायिक नाम डेमोरेथ हैं, लोगों के मध्य प्रचलित है। हेरोईन का व्यसनी व्यक्ति हेरोइन न मिलने पर इसका सेवन करता है।

**उद्दीपक (Slimulant)** — उत्तेजक औषधियाँ केन्द्रीय नाड़ी को उत्तेजित करती है। इसकी प्राप्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों साधनों से होती है। इसके उदाहरण निम्नांकित है—

**कोकीन** — कोकीन कोक की पत्तियों से प्राप्त एक सक्रिय क्षार है। जब इसका शोधन होता है तब कोकीन की प्राप्ति सफेद वेदार चूर्ण के रूप में होती है तथा व्यसनी जमायत में इसे तब स्नो (snow) कहा जाता है। इसका प्रभाव मानसिक है शारीरिक नहीं। यह सहनशीलता के विकास में बाधक होता है। कोकीन के उपभोग से भूख मरती है, थकावट बढ़ती है तथा अन्मयसकता भी बढ़ती है जो व्यक्ति को सुस्ती तथा अत्यधिक सावधानी की अनुभूति प्रदान करती है। यह सामान्यतया सूंघकर ग्रहण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता कोकीन का प्रयोग मार्फीन या हेरोईन जैसी दवा के रूप में भी करते हैं। इस प्रकार के संयोग को स्पीड बोल (speed ball) कहा जाता है। कोकीन का प्रभाव शरीर में थकावट, बेचौनी तथा मूर्छा की स्थिति एवं मानसिक दबाव में वृद्धि करता है। उक्त कारणवश आंख की पलके अर्द्ध विलिप्त रहती है। जब उपभोक्ता लम्बे समय तक इसका सेवन करता है तब इससे नाक बहने की क्रिया का विकास होता है।

**एमफेंटामाईन** — एमर्फेटामाइन समन्वित गिर नारकोटिक, खतरनाक औषधि है जो केन्द्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करती है। इसका व्यापक उपयोग ट्रक चालकों, रात्रि प्रहरियों और विद्यार्थियों द्वारा जागरण या सावधानी बरतने के लिए होता है जिसकी चरमपरिणति थकावट एवं कमजोर पाचनशक्ति (Loss of apetite) है। औषधि का प्रभाव समाप्त होने पर मानसिक दबाव बरकरार हो जाता है। एम्फेटामाईन कैप्सूल, गोली एवं द्रव के रूप में उपलब्ध होता है। शरीर को इसकी प्राप्ति मुखद्वार अथवा सुई के द्वारा होती है। औषधि उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न नाम प्रदान किए गये हैं यथा डेक्सीज, देनीज, पेपील्स आदि। इस औषधि के प्रयोग से मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, शारीरिक नहीं।

**मेथमफेटामाइन (Methamphatamine)**— एमफेटामाईन का द्वितीय स्वरूप मेथमर्फेटामाइन है जिसे स्पीड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह केन्द्रीय नाड़ी तंत्र को तीव्र गति से उत्तेजित करता है। यह कैप्सूल गोली एवं द्रव रूप में उपलब्ध होता है।

**घातक मात्रा (Fatal Dosc)**— चरस, गांजा, भांग क्रमशः 2. 8 एवं 10 ग्रामध्घातक काल लगभग 10 घंटे।

**मादक पदार्थ (Psychotropic substance)**— यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन करते हैं।

**कैनाबिस (Cannabis)**— कैनाबिस पौधे की दो किस्में होती है—

PTC Kherwara, Udaipur

भारतीय कैनाबिस इन्डिका (Cannabis indic) एवं यूरोपीय कैनाबिस सटाइवा (Cannabis sativa) गांजा, भाँग एवं चरस इसी पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे की सूखी पत्तियाँ, भाँग, मादा पौधे का पुष्प एवं फलयुक्त भाँग गांजा कहलाता है। पौधे से प्राप्त रेजिन को चरस या हशीरा कहते हैं जो गहरे हरे भूरे रंग का होता है। गांजे में मुख्य मादक सक्रिय अवयव टेट्राहाईड्रोकेनाबिनॉल (THC) होता है। गाँजे को मध्यपूर्व में हशीश (Hashish), अमेरिका में मेरिजुआना (Marijuan), उत्तरी अफ्रीका में किफ (Kif), दक्षिण अफ्रीका में धन्ना, दक्षिण अमेरिका में मेकोन्हा (Maconha) आदि नामों से जाना जाता है। केनाबिस में निम्न चार अवयव पाये जाते हैं।–

- कैनाबिडोइक अम्ल (Cannabidoic acid)
- कैनाविडियोल (Cannabidiol)
- कैनाबिनॉल (Cannahinol)
- टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल (Tetra Hydro Cannabinnol THC)

कैनाबिस का मादक प्रभाव THC के कारण होता है।

**हैलूसीनोजन्स (Halucinogens)–** हैलूसीनोजन्स औषधि का उपयोग व्यक्ति की सामान्य चिन्तन प्रक्रिया, विचारधारा एवं मिजाज को प्रभावित करता है। उक्त से संबंधित महत्वपूर्ण औषधि निम्नांकित है–

**एलएसडी – LSD (Lysergic Acid Dicthylamide)–** यह अत्यन्त शक्तिशाली अर्द्धसंश्लेषित हैलूसिनो जेनिक औषधि है जो इर्गाट (ergot) में पाये जाने वाले एल्कोलॉयड लाइसेरिक अम्ल (Lyseric acid) से बनाई जाती है। इर्गाट एक फफूंद (fungus) है जो जौ के समान दिखने वाले बीज पर उगती है। इसका कोई चिकित्सीय प्रयोग नहीं है। यह स्वादहीन, गंधहीन एवं रंगहीन द्रव के रूप में अपने विशुद्ध रूप में मिलता है तथा इसे सामान्यतया मुख से ही ग्रहण किया जाता है। कालेबाजार में यह गोली, रबादार चूर्ण, कैप्सूल अथवा द्रव के रूप में मिलता है। यह अधिकतर चीनी के लेंमनजूस तथा डाक टिकट के पृष्ठभाग पर मिलता है। रैक का प्रारम्भिक प्रभाव केन्द्रीय नाड़ी तंत्र पर पड़ता है जिसकी वजह से मन मिजाज एवं व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यह आंखों की पुतलियों को नम करता है। इसके प्रभाव से कंपकपी, तापमान तथा रक्तचाप बढ़ता है। यह बैटरी एसिड, हैट्स, डाट्स आदि के नाम से जाना जाता है।

**अन्य हैलोसिनोजन्स –** बहुसंख्यक ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक संरचना परिवर्तित होती रहती है हैलूसिनोजेनिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं :–

- मैसकेलाइन (Mascaline) नामक पदार्थ पेयोट (Peyote) कैक्टस के फूल से प्राप्त किया जाता है।
- सिलोकाइबीन (Psilocybine) नामक पदार्थ कुकरमुत्ता (mushroom) से प्राप्त होता है।
- मेथाक्वालेन (डमजींनंसवदम) नान बार्बीचुरेट सैडिटिव संश्लेषित औषधि है जो मैन्डेक्स आदि नाम से जानी जाती है।

इन औषधियों के उपभोग से शरीर प्रभावित भले ही न हो परन्तु इनसे मानसिक अवस्था अवश्य प्रभावित होती है।

**अवसादक (Depressants)–** उक्त पदार्थ शारीरिक क्रियाशीलता घटाते हैं उदाहरणार्थ बारबीच्यूरेट्स जिनकी उत्पत्ति बारबीच्यूरिक अम्ल से होती है। निद्रा के लिए इसका उपयोग प्रचलित है क्योंकि उपभोक्ता को इससे चौन, आरामदेह अनुभूति एवं अच्छी नींद मिलती है। केन्द्रीय नाड़ीतंत्र पर दबाव



PRS Kherwara, Udaipur

डालने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लगभग 25 उत्पाद है किन्तु मात्र पांच उपभोग के लिए प्रचलित है यथा एमोबार्बिटल, सेकोबारवीटल, फेनाबारबीटल, पेन्टाबारबीटल, बुटावारबीटल। बारबीच्युरेट्स गोली चूर्ण एवं कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होते हैं। बाजार में इनकी प्रस्तुति विभिन्न रंगों में होती है जिनके प्रचलित शब्द है–भेलोजैकेंम्स, ब्लू डेविलस, ब्लू बर्ड्स आदि।

**प्रशान्तक (Tranquilisers)–** यह केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र पर अवसादक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अल्प मात्रा में सेवन पर यह मांसपेशियों में विश्राम (muscular relaxation), चिंतामुक्त (anxiety relexation) आदि प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने पर भ्रम की स्थिति, गहन निद्रा जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनका उपयोग रेलयात्रियों को चाय या बिस्कुट में मिलाकर लूटने हेतु किया जाता रहा है। बैन्जोडायजापीन (Benzodiazopine), नाइट्राजीपाम (Nitrazepam), क्लोरप्रोमाजीन (Chlorpromazine), मेन्ड्रेक्स आदि इसके उदाहरण है।

**पहचान–** नारकोटिक औषधि की पहचान हेतु प्रयोगशाला में अनेक परीक्षण किये जाते हैं यथा–रंग परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आदि।

**रंग परीक्षण–** अनेक औषधियां रासायनिक क्रिया के द्वारा विशिष्ट रंग प्राप्त करती है। उक्त परीक्षण सिर्फ काट–छांट (screening) के उद्देश्य से उपयोगी है। तथा इन्हें कभी निश्वयात्मक पहचान नहीं माना जा सकता।

**माइक्रो–**क्रिस्टायीन परीक्षण– माइक्रोस्कोप स्लाईड पर दवा की छोटी–सी मात्रा में अभिकर्मक (Reagent) बंद के संयोग से यह परीक्षण होता है। औषधि के बहुत सारे गुण इस परीक्षण से स्पष्ट हो जाते हैं।

**क्रोमेटोग्राफी –** गैस कोमेटोग्राफी की तकनीक अत्यन्त उपयोगी है जिसके द्वारा औषधि को घोलक से पृथक कर दिया जाता है तथा उसकी विशिष्ट पहचान बन जाती है।

**स्पेक्ट्रोफोटोमेंट्री –** इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेंट्री तकनीक के द्वारा पदार्थ के गुणों की पहचान उपयुक्त तरीके से होती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम विधि प्रत्येक यौगिक की पहचान के लिए एक अद्भुत विधि है। पदार्थ सदैव अपने शुद्ध रूप में रहने का आकांक्षी होता है।

**मादक पदार्थ एवं अपराध**

- अहिंसक अपराध (Non–Violent Crime) निम्न अपराध उक्त श्रेणी में आते है
- पैसे चुराना
- वेश्यावृत्ति में लिप्त होना
- जालसाजी एवं गबन
- ब्लैक मेलिंग, अपहरण, फिरौती में लिप्त होना
- नशीली दवाई, हथियार विस्फोटक पदार्थ की तस्करी
- अवैध औषधि का उत्पादन
- आपराधिक समूह में सम्मिलित होना
- हिंसक अपराध (Violent Crime)

नारकोटिक पदार्थों के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु सभी जनपदों तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के क्षेत्रीय इकाईयों में नारकोटिक किट प्रदान की गयी है। इस किट द्वारा नारकोटिक पदार्थों का प्रारम्भिक परीक्षण ही किया जाना चाहिए तथा निश्चित तथा विस्तृत रासायनिक विश्लेषण हेतु नारकोटिक पदार्थों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०, लखनऊध्आगराध्वाराणसी में भेजा जाना आवश्यक है। नारकोटिक किट द्वारा जिन मादक पदार्थों का परीक्षण किया जाता है उनमें अफीम, मारफीन, कोडीन, हेरोइन, एम्फीटानि, मेस्कलिन मेरीजुआना, हशीश (चरस), हशीश आयल, मियरम्फीटामिन, मियाईल फिनाडेड, बारबीचुरेट्स कोकेन तथा मेथाक्योलोन है। इस किट द्वारा उपरोक्त नारकोटिक पदार्थों का

PTS Kherwara, Udaipur

परीक्षण सकारात्मक नकारात्मक आने की दशा में भी प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला अवश्य भेजा जाये जहाँ प्रदर्श का परीक्षण आधुनिक उपकरणों द्वारा भी किया जाता है तथा रिपोर्ट प्रेषित की जाती है जो न्यायालय द्वारा मान्य है।

कतिपय औषधियों यथा गांजा, चरस के सेवन से व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति की दिशा में अग्रसर होता है। उद्दीपक मादक पदार्थ यथा कोकीन एम्फेटामीन शारीरिक क्रियाशीलता निर्धारित हैं। इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तिगत रूप से हिंसक अपराध करने को बढ़ावा दिया जाता है। हालाँकि प्रशांतक यथा अफाल, बाबींचुरेट आदि अपराध करने की प्रवृत्ति को कम करते हैं तदापि इनड्रासिल के वासी यदा–कदा अपराध में जगह मिलती है। अपराध की प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व वातावरण, स्वभाव, औषधि की मात्रा, आदत आदि पर प्रतिबंध है।

नारकोटिक किट द्वारा पदार्थों की जाँच की विधि नारकोटिक किट में ही उपलब्ध रहती है। इसमें कई प्रकार के वायल्स, टेस्ट ट्यूब स्पाट प्लेट तथा निर्देश चार्ट है। निर्देश चार्ट के अनुसार नारकोटिक पदार्थों की जाँच की जानी चाहिए। तथा किसी असुविधा की दशा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सम्पर्क करना चाहिए।

PTS Kherwara, Udaipur

## Module- A- 14- NDPS (Day-05) (Session-24)
## Paper- 13- Practical Hand on (12 Session)
### प्रैक्टिकल–13 (व्यावहारिक कार्य) (12 सत्र)

**नोटः–** प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर निम्नांकित पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देवें।

- अपराध स्थल का संरक्षण (बचाव)
- मीडिया और भीड़ प्रबंधन
- गवाह को अलग करना
- एफआईआर का मसौदा तैयार करना (ड्राफ्टिंग)
- विभिन्न पंचनामा तैयार करना
- जैविक साक्ष्य एकत्र करने में सहायता करना
- साक्ष्यों की पैकेजिंग और लेबलिंग करना
- एफएसएल को पत्र और चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना
- पीड़ित और आरोपी की चिकित्सा जांच
- गवाह का बयान
- आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया
- रिमांड रिपोर्ट तैयार करना
- केस डायरी लिखना
- चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करना

PTS Kherwara, Udaipur

## ➢ Case Law- State of panjab VS Baldev Singh (section 37) (1999)

**1. प्रस्तावना**

- **मामला–** State of panjab VS Baldev Singh (section 37) (1999)
- **पीठ–** 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- **मूल विषय–** NDPS अधिनियम की धारा 50 (व्यक्तिगत तलाशी के अधिकार) का धारा 37 (जमानत की शर्तें) और अभियुक्त की दोषसिद्धि/बरी होने पर प्रभाव।
- **मुख्य प्रश्न–** यदि पुलिस अधिकारी धारा 50 का पालन किए बिना तलाशी लेता है, तो क्या ऐसे मामले में अभियुक्त धारा 37 के तहत जमानत का हकदार बन जाता है?

**2. NDPS की धारा 37 का ढांचा–** दोहरी शर्तें

NDPS अधिनियम की धारा 37 के तहत व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अपराध गैर–जमानती और संज्ञेय होते हैं। अदालत केवल दो शर्तें पूरी होने पर ही जमानत दे सकती है–

- प्रथम दृष्टया निर्दोषता – अदालत को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार दिखें कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है।
- पुनरावृत्ति की संभावना न होना– अदालत आश्वस्त हो कि अभियुक्त जमानत के दौरान कोई नया अपराध नहीं करेगा।

**3. बलदेव सिंह फैसला और धारा 37 से इसका संबंध**

बलदेव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धारा 50 का पालन अनिवार्य है। इसका सीधा प्रभाव धारा 37 के तहत मिलने वाली जमानत पर पड़ता है–

- धारा 50 का उल्लंघन = धारा 37 का लाभ– यदि पुलिस ने अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी लेते समय उसे मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी कराने का विकल्प (Notice under Sec 50) नहीं दिया, तो बरामदगी विधि–विरुद्ध मानी जाएगी।
- जमानत का आधार– यह प्रक्रियात्मक त्रुटि अदालत को यह सोचने का युक्तियुक्त आधार देती है कि अभियुक्त के खिलाफ केस कमजोर है। इस आधार पर अभियुक्त धारा 37 के कड़े नियमों के बावजूद जमानत का हकदार बन सकता है।

PTS Kherwara Udaipur

## ➢ Case Law- Raju V/s State of Bengal (Section 50) (2022)

**1. प्रस्तावना**

- मामला– एस.के. राजू उर्फ अब्दुल मजीद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल
- न्यायालय– माननीय उच्चतम न्यायालय
- मुख्य विषय– NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 50– क्या केवल बैग या ले जाए जा रहे सामान की तलाशी में धारा 50 लागू होगी यदि व्यक्ति की भी साथ में शारीरिक तलाशी ली जाती है?

**2. मुख्य कानूनी प्रश्न**

जब पुलिस या जांच अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को रोकते हैं और उसके पास मौजूद किसी बैग/सामान तथा उसके शरीर दोनों की तलाशी लेते हैं, तो क्या धारा 50 के तहत दिए जाने वाले नोटिस और प्रक्रियात्मक सुरक्षा की अनिवार्यता लागू होगी?

**3. मामले के तथ्य**

- कार्रवाई– पुलिस टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। उन्होंने आरोपी (राजू) को रोका।
- जब्ती– आरोपी के पास मौजूद बैग और उसकी व्यक्तिगत जेबों/शरीर की तलाशी ली गई, जिससे नशीला पदार्थ (चरस/गांजा) बरामद हुआ।
- निचली अदालत और उच्च न्यायालय– निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी सजा को बरकरार रखा।
- उच्चतम न्यायालय में तर्क– आरोपी की तरफ से मुख्य तर्क दिया गया कि तलाशी के दौरान NDPS की धारा 50 (मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी का विकल्प) का सख्ती से पालन नहीं किया गया, इसलिए पूरी बरामदगी अवैध है।

**4. उच्चतम न्यायालय का निर्णय एवं सिद्धांत**

सुप्रीम कोर्ट (3–न्यायाधीशों की पीठ) ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम परमानंद (2014) और स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह (1999) जैसे पूर्व निर्णयों का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं–

**(A) बैग बनाम शारीरिक तलाशी का सिद्धांत**

यदि पुलिस अधिकारी केवल बैग, बैगिज या वाहन की तलाशी लेता है, तो धारा 50 लागू नहीं होती।

परंतु, यदि तलाशी प्रक्रिया में बैग के साथ–साथ व्यक्ति की शारीरिक तलाशी भी शामिल है, तो ऐसी स्थिति में धारा 50 के सुरक्षात्मक नियम स्वतः लागू हो जाएंगे।

**(B) धारा 50 के पालन में ढिलाई अमान्य**

यदि अधिकारी व्यक्तिगत तलाशी भी ले रहा है, तो वह यह बहाना नहीं बना सकता कि माल तो केवल बैग से मिला है। चूंकि व्यक्ति को रोककर उसकी शारीरिक तलाशी भी ली गई थी, इसलिए उसे धारा 50 के तहत उसके अधिकारों (Gazetted Officer या Magistrate के समक्ष तलाशी) की स्पष्ट सूचना देना अनिवार्य था।

PTS Khenwara, Udaipur

## ➢ Case Law- Toofan Singh V/s State of Tamilnadu 2020

### 1. केस का संक्षिप्त विवरण–

- साइटेशन–(फैसले की तारीखरू 29 अक्टूबर 2020)
- पीठ– जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी (जस्टिस नरीमन और सिन्हा बहुमत में, जस्टिस बनर्जी का असहमति मत)
- मूल प्रश्न– क्या NDPS अधिनियम की धारा 67 के तहत NCB/DRI जैसी विशेष एजेंसियों के अधिकारियों के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान अदालत में सबूत के रूप में ग्राह्य है?

### 2. पृष्ठभूमि और विवाद का कारण

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत भी समतुल्य प्रावधान) के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान अदालत में अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता।
- पूर्व में भ्रम– वर्ष 2020 से पहले, राजकुमार करवाल (1990) और कन्हैयालाल (2008) जैसे पुराने फैसलों के आधार पर अदालतें मानती थीं कि–
- NCB, DRI या आबकारी विभाग के अधिकारी तकनीकी रूप से पुलिस अधिकारी नहीं हैं।
- इसलिए, NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत इन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के आधार पर अभियुक्त को बिना किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के केवल बयान के आधार पर सजा दी जा सकती थी।
- फान सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ/बड़ी पीठ ने इस अवधारणा को हमेशा के लिए बदल दिया।

### 3. उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 2/1 के बहुमत से निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत तय किए–

(A) धारा 53/67 के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं

एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के तहत अपराधों की जांच के लिए सशक्त किए गए केंद्र या राज्य की विशेष एजेंसियों के अधिकारी साक्ष्य कानून के अर्थ में पुलिस अधिकारी ही माने जाएंगे।

(B) धारा 67 केवल सूचना जुटाने के लिए है, इकबालिया बयान के लिए नहीं

NDPS अधिनियम की धारा 67 अधिकारियों को केवल सूचना और दस्तावेज मांगने/पूछताछ की शक्ति देती है। इसका उपयोग पुलिस की धारा 180 के बयान की तरह है। इस प्रावधान का उपयोग अभियुक्त से जबरन स्व–दोषारोपण कराने या कन्फेशन दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता।

**(C) संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण**

अदालत ने माना कि केवल एजेंसियों के बयानों के आधार पर सजा देना–

- अनुच्छेद 20(3) – स्व–दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है।

### 5. पुलिस और जांच अधिकारियों के लिए व्यावहारिक सबक

तूफान सिंह फैसले के बाद छक्‍्‍ै मामलों की जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब जांच अधिकारियों को निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहना होगा–

- भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य– केवल अभियुक्त के कबूलनामे पर भरोसा करने के बजाय मौके पर जब्ती, FSL केमिकल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट और CDR जैसे स्वतंत्र साक्ष्यों पर केस खड़ा करना होगा।

PTS Kherwara, Udaipur

- धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम– यदि अभियुक्त के बयान के आधार पर कोई नया तथ्य, छुपाया हुआ नशीला पदार्थ या कोई भौतिक वस्तु बरामद होती है, तो केवल वही बरामदगी का हिस्सा अदालत में साबित किया जा सकेगा।
- मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान– यदि अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट दर्ज ही करना है, तो उसे BNSS की धारा 183 के तहत न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष ही दर्ज कराया जाना अनिवार्य है।

PTS Kherwara, Udaipur